संख्या-1027/2025/2055/22-2-2023-17(517)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ताहिरा पत्नी श्री अहसान, निवासिनी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0बैठक-31-03-2023 दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी ताहिरा पत्नी श्री अहसान, जो हुसैनपुर कलां, थाना-बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 18-03-2013 को 06 सहअभियक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर श्रीमती गुलिस्ता को घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान एक महीने बाद मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-541/2017, भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक, कोर्ट सं0-1 मुजफ्फरनगर, के दण्डादेश दिनांक 14.02.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 14.02.2023 तक अपरिहार 01 वर्ष, 04 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष महिला बन्दी ताहिरा पत्नी श्री अहसान की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। महिला बन्दी की मात्र 32 वर्ष की आयु, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 14.02.2023 तक अपरिहार 01 वर्ष, 04 माह 14 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 07 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी दण्ड के सापेक्ष कम सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ताहिरा (बन्दी संख्या-9520/2022) पत्नी श्री अहसान, निवासिनी जनपद-मुजफ्फरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1027/2025/2055(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।